

43/2/24

फर्द अहकाम

(नियम 26)


अज अदालत: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कोटा, जिला कोटा

सरकार जयें थानाधिकारी मण्डाना बनाम विकास उर्फ चोट्या

किस्म मुकदमा : गुण्डा एक्ट

नं० 05 / 2026

2026/9

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
5.1.26	<p>थानाधिकारी, आरक्षी केन्द्र थाना मण्डाना जिला कोटा द्वारा- जयें पुलिस अधीक्षक जिला कोटा- (ग्रामीण) यह इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 विरुद्ध गैरसायल विकास उर्फ चोट्या पुत्र फुलचंद जाति मेरोठा उम्र- 27 साल निवासी वार्ड नं० 09 थाना मण्डाना जिला कोटा इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। उक्त गैरसायल को जयें नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 30.1.2026 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">— अति० जिला मजिस्ट्रेट कोटा, जिला कोटा</p>	<p>11/6/1/26</p> <p>विवा/27</p>
30/01/26	<p>कार्यवाही किया हुआ। कोटा अन्य कार्य में आ रहे। कार्यवाही दिनांक 30/1/26 को किया गया। 30/1/26</p>	
13/2/26	<p>कार्यवाही किया हुआ। गैरसायल उर्फ विकास के द्वारा नै कानूनी ढंग से कोटा के विवेक विधि वि थावाधिकारी अथवा प्रत्यक्ष इस्तगासा के दर्ज की प्रकृति होने के साथ ही प्रत्यक्ष परमाणु के अंतर्गत जीएच वरिष्ठ फर लखी के हुकम चलाया है। अतः उक्त कार्यवाही फिर प्रारंभ। इस्तगासा या अकालीन किया गया। कार्यवाही द्वारा प्रत्यक्ष इस्तगासा गैरसायल के विरुद्ध 13-2-26 02 प्रकरणों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। उक्त दोनों प्रकरण वर्ष 2023-24 में दर्ज हूए हैं। थानाधिकारी द्वारा इस्तगासा वर्ष 2025 में न्यायालय में प्रस्तुत किया है। गणेश गुण्डा एक्ट के प्राथमिक अनुसंधान कार्यवाही करने के पूर्व कमरे की कार्यवाही के अंतर्गत फर के अंतर्गत 03 प्रकरण</p>	<p>विवा/27</p> 

अखबार / विकास उर्फ पोस्टा

* दर्ज रकम चाहिए / साफ इतनासा के
बाद कि कर्षण के दौरान इतनासा
आग करित अपराधों के विषय नहीं है।
अतः गैरनापक के विरुद्ध राज. गुण्य विवरण
अपेक्षित के तहत कार्यवाही किया जाता
न्यायोचित प्रतीत नहीं है। के इतनासा
इसी तरह पर वकील किया जाता है।
निर्णय कि प्रति संबंधित कर्षणकारी के
क्रियाएँ करें। फावते उम्बर के कम कि
अच्छ दाखिल करवाते हैं।

अति. जिला कलेक्टर
कोटा

